

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या
12/09/2025

रजि० नं० 2025/
2025/38

प्रवेश तिथि
30.01.2025

निर्णय दिनांक
26.03.2025

1-सुन्दर पुत्र नन्दराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांचोद तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा। (राजस्थान)
अपीलान्टान

बनाम

1- तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 362/2023 धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए आराजी खसरा न० 61 रकबा 1.04 है० किस्म चारागाह से बेदखल किये जाने/तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, को अपास्त किये जाने बाबत।

उपस्थित-

01. श्री जर्नादन शर्मा

-वकील अपीलान्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 362/2023 धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत आराजी खसरा न० 61 रकबा 31.96 है० किस्म चारागाह में से 1.04 है० भूमि वाके ग्राम सांचोद पर सरसो की फसल काशत कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट के विरुद्ध फसल कुर्क कर नीलाम करने/पेलन्टी की राशि वसूल कर मौके से बेदखली/ तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जर्जे नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न० 61 रकबा 31.96 है० मे से रकबा 1.04 है० किस्म चारागाह वाके ग्राम सांचोद तहसील मुण्डावर पर मिन अपीलान्ट का कोई मौके पर कब्जा नहीं है, पटवारी हल्का के द्वारा मौके के खिलाफ बिना पैमाईश किये अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट कार्यालय में बैठ कर तैयार की गयी है, तहत अदालत द्वारा कोई पैमाईश नहीं करायी गयी है, न ही कोई निरीक्षण किया गया है। तहत अदालत के द्वारा मिन अपीलान्ट को जवाब नोटिस दस्तावेजी सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। तहत अदालत के द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भी गलती की है। क्योंकि पूर्व में अपीलान्ट को न तो बेदखल किया गया है, न ही इस बाबत पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य थी। जैसे पूर्व में बेदखल करने की निर्णय की सत्य प्रतिलिपि आदि लेकिन तहत अदालत ने मात्र पटवारी हल्का के बयान पर बिना निर्णय की प्रतिलिपि पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह का सिविल कारावास की सजा व अर्थदण्ड 200 रुपये से दण्डित किया गया है, जो निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की अनेको नजीरे इस बाबत है, कि जब तक पत्रावली पर पहले बेदखल करने के आदेश/निर्णय की सत्य प्रतिलिपि न हो तब तक उसको पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 को निरस्त फरमाया जावे। विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपने कथन की पुष्टि हेतु माननीय न्यायालय की नजीर आर.बी.जे (14)2007 पेज संख्या 644-646 की प्रति पेश की गयी।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्त की बहस पर मनन किया। अपीलान्त का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न० 61 रकबा 31.96 है० मे से रकबा 1.04 है० किस्म चारागाह वाके ग्राम साचोद तहसील मुण्डावर पर मिन अपीलान्त का कोई मौके पर कब्जा नहीं है, पटवारी हल्का के द्वारा मौके के खिलाफ बिना पैमाईश किये अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट कार्यालय में बैठ कर तैयार की गयी है, तहत अदालत द्वारा कोई पैमाईश नहीं करायी गयी है, न ही कोई निरीक्षण किया गया है। तहत अदालत के द्वारा मिन अपीलान्त को जवाब नोटिस दस्तावेजी सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्त निर्णय पारित किया गया है। विचाराधीन अपील में अपीलान्त द्वारा एक शपथ-पत्र पेश कर निवेदन किया गया है, प्रकरण में वर्णित आराजी पर अपीलान्त का कोई अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण/कब्जा छोड़ दिया गया है, जिसकी तहत अदालत से मौके की रिपोर्ट तलब की जावे। जिस पर तहत अदालत से रिपोर्ट तलब की गयी। जिसके आधार पर मौके पर अतिक्रमी का कब्जा नहीं होना अवगत कराया गया है। तहत अदालत की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का बासनी द्वारा अतिक्रमी सुन्दर पुत्र नंदराम जाति गूर्जर निवासी सांचोद तहसील मुण्डावर के विरुद्ध इस आशय की पेश की गयी है, कि आराजी खसरा न० 61 रकबा 31.96 है० मे से रकबा 1.04 है० पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को जर्ज नोटिस दिनांक 10.01.2024 को उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। नोटिस की तामील होकर शामिल मिसल है, नियत तिथि को अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर वास्ते जवाब हेतु समय चाँहा गया पत्रावली दिनांक 19.01.2024 को नियत की गयी। किन्तु अतिक्रमी बावजूद सूचना के नियत तिथि को उपस्थित ही नहीं हुआ। दिनांक 24.01.2024 को अतिक्रमी अनुपस्थित होने पर पटवारी हल्का बासनी को वास्ते बयान हेतु तलब किया गया। पटवारी हल्का बासनी ने अपने बयान में अंकित किया गया है, कि सुन्दर पुत्र नंदराम जाति गूर्जर आराजी खसरा न० 61 रकबा 1.04 है० भूमि में पुनः अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमी को पूर्व में भी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी थी, जिसकी पी-14 की नकल तथा रिपोर्ट बैदखली बयान के साथ संलग्न की गयी है। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण है। प्रकरण में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज रिकार्ड है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों की क्षेणी में आती है, ऐसी सरकारी भूमियों पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है, अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर अतिक्रमी के विरुद्ध विधिवत निर्णय पारित कर मौके से बैदखली फसल कुर्क कर नीलाम करने/पैलन्टी की राशि वसूल कर / तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त केवल सजा की हद तक ही निरस्त किया जाता है। शेष निर्णय दिनांक 24.01.2024 यथावत रहेगा निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला क्लर्क
खैरथल-तिजारा (राज०)